न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (न्याय), जयपुर

फर्द अहकाम

प्रकरण संख्या : रा. रैफ. 06/2017 .... Govt. .... बनाम .... राधा [illegible] ....

कार्यवाही /आज्ञा की दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
10.5-18	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उप०। श्री कमलेश कटारिया, एड. का निधन होने से वकीलों ने कार्य स्थगित रखा। अतः वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 17-5-18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	
17-5-18	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन अनुपस्थित। पुकार करवाने पर भी नहीं आये। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 30.5-18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	
30.5.18	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। प्रार्थी-तहसीलदार, फागी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र साइडिंग होने से अस्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर हो वाद हो। निर्णय की प्रति पालनार्थ भेजी जावे। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। (हस्ताक्षर) अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	

न्यायालय श्री सुनील भाटी, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 06/2017

सरकार जरिये तहसीलदार, फागी, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

राधा देवी ध0प0 बनवारीलाल, जाति–बारागॉव ब्राह्मम्ण, निवासी–माधोराजपुरा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।

अप्रार्थी,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

उपस्थिति :–

1. श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक।
2. श्री सत्यनारायण शर्मा, अभिभाषक, अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक : 30.04.2018

तहसीलदार, फागी द्वारा यह निवेदन किये जाने पर कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011–2030 में ग्राम माधोराजपुरा की आराजी खसरा नम्बर 1796 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा खातेदार गनेश वल्द नाथू व धासी वल्द काना, देवा वल्द सेडू, जाति–कुम्हार किस्म जमीन बंजड दोयम के नाम दर्ज हैं जो विक्रय के फलस्वरूप नामान्तरकरण संख्या 840, 1539, 1933 द्वारा क्रेतागण के नाम दर्ज होकर नामान्तरकरण संख्या 1939 के द्वारा तकास्मा से, नामान्तरकरण संख्या 1949 के द्वारा समर्पण से, नामान्तरकरण संख्या 1953 के द्वारा संपरिवर्तन से आराजी खसरा नम्बर 1796/6, 1796/3, 1796/8, 1796/9, गैर–मुमकिन रास्ता व आराजी खसरा नम्बर 1796/1 मोता देवी, 1796/2 राधा देवी, 1796/3 सावित्री देवी, 1796/4 विजयलक्ष्मी, जाति– बारागॉव ब्राह्मम्ण दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 के खाता संख्या 31 में आराजी खसरा नम्बर 1796/2 रकबा 13 बिस्वा किस्म आवासीय प्रयोजनार्थ में खातेदार राधा देवी ध0प0 बनवारीलाल, जाति–बारागॉव ब्राह्मम्ण दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक खसरा चौसाला सम्वत् 2055–2073 आराजी खसरा नम्बर मूल 1796 में कभी भी काश्त नहीं की गई है, क्योंकि वर्षा के समय इस खसरा नम्बर से शिव सागर तालाब (खसरा नम्बर 1554) में पानी आता है तथा वर्तमान में भी इसी खसरा नम्बर से पानी की आवक है। आराजी खसरा नम्बर 1796/2, 1796/3, 1796/4 के खातेदारो द्वारा वर्तमान में मौके पर तालाब की ओर पक्की दिवार बनाकर मिट्ठी

भरकर तालाब में पानी की आवक में अवरोध उत्पन्न कर दिया है। अतः डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के अनुसरण में खातेदार राधा देवी की आराजी खसरा नम्बर 1796/2 रकबा 13 बिस्वा को निरस्त फरमाया जावे।

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस अप्रार्थिया जारी किये गये। अप्रार्थिया ने जरिये अभिभाषक हाजिर आकर जवाब पेश किया जो शामिल मिसल है।

विद्वान् राजकीय अधिवक्ता श्री विजय चाहर का कथन है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011–2030 में ग्राम माधोराजपुरा की आराजी खसरा नम्बर 1796 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा खातेदार गनेश वल्द नाथू व धासी वल्द काना, देवा वल्द सेडू, जाति–कुम्हार किस्म जमीन बंजड दोयम के नाम दर्ज हैं जो विक्रय के फलस्वरूप नामान्तरकरण संख्या 840, 1539, 1933 द्वारा क्रेतागण के नाम दर्ज होकर नामान्तरकरण संख्या 1939 के द्वारा तकास्मा से, नामान्तरकरण संख्या 1949 के द्वारा समर्पण से, नामान्तरकरण संख्या 1953 के द्वारा सपरिवर्तन से आराजी खसरा नम्बर 1796/6, 1796/3, 1796/8, 1796/9, गैर–मुमकिन रास्ता व आराजी खसरा नम्बर 1796/1 मोता देवी, 1796/2 राधा देवी, 1796/3 सावित्री देवी, 1796/4 विजयलक्ष्मी, जाति– बारागॉव ब्राह्मम्ण दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 के खाता संख्या 31 में आराजी खसरा नम्बर 1796/2 रकबा 0.13 किस्म आवासीय प्रयोजनार्थ में खातेदार राधा देवी ध0प0 बनवारीलाल, जाति–बारागॉव ब्राह्मम्ण दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक खसरा चौसाला सम्वत् 2055–2073 आराजी खसरा नम्बर मूल 1796 में कभी भी काश्त नहीं की गई है, क्योंकि वर्षा के समय इस खसरा नम्बर से शिव सागर तालाब (खसरा नम्बर 1554) में पानी आता है तथा वर्तमान में भी इसी खसरा नम्बर से पानी की आवक है। आराजी खसरा नम्बर 1796 गै0मु0 तालाब व पाल के साथ दो दिशाओ पूर्व व दक्षिण में लगता हुआ हैं जिसमें गै0मु0 तालाब में पानी की आवक दक्षिण दिशा से होती है तथा मेगा हाईवे (S.H.2) से पाईपो से होती है। खालक नहर से तालाब में पानी की भारी आवक होती है। आराजी खसरा नम्बर 1796/2, 1796/3, 1796/4 के खातेदारो द्वारा वर्तमान में मौके पर तालाब की ओर पक्की दिवार बनाकर मिट्‌ठी भरकर तालाब में पानी की आवक में अवरोध उत्पन्न कर दिया है। अतः डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान

बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के अनुसरण में खातेदार राधा देवी की आराजी खसरा नम्बर 1796/2 रकबा 0.13 को निरस्त किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावे।

अप्रार्थिया के विद्वान् अभिभाषक श्री सत्यनारायण शर्मा का कथन हैं कि रेफरेन्स अधीन आराजी आराजी खसरा नम्बर 1796/2 को गलत रूप से मौके पर तालाब की ओर पक्की दीवार बनाकर मिट्टी भरकर तालाब में अवरोध उत्पन्न करना जाहिर किया है जबकि वास्तव में वादग्रस्त आराजी में से कभी कोई पानी का बहाव नही रहा है तथा मौके पर आस–पास कोई पानी का बहाव व भराव क्षेत्र नहीं हैं। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1796/2 किसी भी रूप में बहाव क्षेत्र में नहीं हैं। रेफरेन्स प्रार्थना पत्र के साथ ऐसा कोई पुरातत्व विभाग अथवा भू–सर्वेक्षण विभाग का दस्तावेज प्रस्तुत नही हुआ है जो यह जाहिर कर सके कि वादग्रस्त आराजी कभी शिव सागर तालाब के बहाव क्षेत्र की आराजी रही हो। यहां तक की तहसीलदार, फागी द्वारा जो नक्शा मोमिया शीट की प्रति प्रस्तुत की गई वह आराजी खसरा नम्बर 1796 की प्रस्तुत की गई है जबकि बहाव क्षेत्र आराजी खसरा नम्बर 1796/2 को होना बताया है। मौका रिपोर्ट के साथ आराजी खसरा नम्बर 1796/2 का नजरी/नक्शा ट्रेस प्रस्तुत नही किया गया है। प्रार्थी–तहसीलदार, फागी द्वारा प्रस्तुत किये गये नक्शा मोमिया शीट खसरा नम्बर 1796 में जो बहाव क्षेत्र व निर्माण होना जाहिर किया है वह नक्शा मोमिया शीट अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1796/1 में होना प्रतीत होता है जबकि नक्शा ट्रेस आराजी खसरा नम्बर 1796/1 के पश्चात् 1796/2 है। इस प्रकार आराजी खसरा नम्बर 1796/2 बहाव क्षेत्र में आने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। आराजी खसरा नम्बर 1796 सेटलमेन्ट सम्वत् 2011–2030 से पूर्व निजी खातेदारी की आराजी रही है कभी सिवायचक आराजी नही रही है। प्रार्थी–तहसीलदार, फागी द्वारा स्वयं के समर्थन में प्रस्तुत किये गये नकल जमाबन्दी सम्वत् 2011–2030 में नाम कृषक में गनेश वल्द नाथू व धासी वल्द काना देवा वल्द सेडू, जाति–कुम्हार भूमि वर्गीकरण बंजड दोयम अंकित है जिससे स्पष्ट सिद्ध है कि आराजी खसरा नम्बर कभी न तो सिवायचक रही है और न ही नदी, नाला, तालाब अथवा भराव क्षेत्र की भूमि रही है। आराजी खसरा नम्बर 1796 बंजड दोयम होने से अप्रार्थीया द्वारा उचित प्रतिफल के बदले जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया गया है। सक्षम अधिकारी से इसका तकास्मा कराया गया है और नियमानुसार संपरिवर्तन शुल्क आदि सक्षम

प्राधिकारी को जमा कराने पर सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार द्वारा तथ्यो की जांच की जाकर अप्रार्थिया की आराजी का दिनांक 18.02.2016 को आवासीय प्रयोजनार्थ सपरिवर्तन किया गया है। जिसका संपरिवर्तन आदेश/आवंटन पत्र जारी किये जाने के पश्चात् दिनांक 29.02.2016 को उप–पंजीयक, माधोराजपुरा द्वारा पंजीयन किया गया है। तहसीलदार, फागी द्वारा अप्रार्थिया की क्रयशुदा कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की जांच कर आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किया गया है। अतः तहसीलदार अपने कथन से एस्टोपल है। अब बिना किसी आधार के वादग्रस्त आराजी को बहाव क्षेत्र में होना अंकित कर रेफरेन्स प्रस्तुत करना तहसीलदार की बदनियतिपूर्वक अप्रार्थिया को हैरान–परेशान करना है। वादग्रस्त भूमि किसी भी रूप से अब्दुल रहमान प्रकरण की परिधि में नही आती है। सम्वत् 2012 से पूर्व से ही वादग्रस्त आराजी निजी खातेदारी की आराजी रही है। वादग्रस्त आराजी तालाब की गै0मु0 पाल के लगवा है जिसमें तालाब के भराव क्षेत्र के पानी की आवक में एक प्रतिशत् भी रूकावट नहीं होती है। वादग्रस्त आराजी के दक्षिण तरफ चाकसू से दूदू जाने वाली 180 फीट चौडी रोड है उसके बाद दक्षिण दिशा की तरफ का पानी नाले से होकर रोड के उपर से आकर मुख्य नाले में मिल जाता है जो अप्रार्थिया की आराजी से 30–40 फीट दूर है। तालाब में पानी की आवक के लिए 7–8 फीट गहरा व 20–25 फीट चौडा नाला बेरोक–टोक खुलासा है। वादग्रस्त आराजी आबादी भूमि है जो ग्राम माधोराजपुरा की आबादी भूमि से लगवा है तथा गांव की मुख्य सडक है, मुख्य सड़क के दोनों ओर कई पुख्ता मकान व दुकाने बनी हुई है। इसके बावजूद भी अप्रार्थिया की खातेदारी की भूमि जो राजस्व रिकार्ड में किस्म बंजड दोयम हैं और इसके पश्चात् आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन के फलस्वरूप आवासीय भूमि है, के विरूद्ध गलत तथ्यों के आधार पर रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं जो विधि–विरूद्ध होने से निरस्तनीय हैं। वादग्रस्त आराजी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011–2030 निजी खातेदारी में दर्ज है और किस्म जमीन बंजड दोयम दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो यह स्पष्ट करते हो कि दिनांक 15.8.1947 को या इससे पूर्व वादग्रस्त भूमि कभी तालाब/तालाबी या बहाव क्षेत्र की दर्ज रही हो। रेफरेन्स में प्रार्थी–तहसीलदार, फागी द्वारा विशेषतः ऐसी आज्ञा के विरूद्ध कथन नही किया गया है जिसमें द्वारा अप्रार्थिया को खातेदारी दी गई हो और ऐसी आज्ञा को निरस्त कराने हेतु इस्तदुआ की गई हो। कलक्टर अपने अधीनस्थ द्वारा पाारित की गई अथवा पारित की जा रही आज्ञा के विरूद्ध ही रेफरेन्स की कार्यवाही कर सकता है परन्तु

विचारण प्रकरण में तहसीलदार, फागी ने ऐसे किसी आदेश का कथन नहीं किया है जिसके द्वारा निजी खातेदारी दी गई हो और ऐसी खातेदारी को निरस्त कराने हेतु इस्तदुआ की गई हो अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

हमने उभय–पक्षों की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011–2030 ग्राम माधोराजपुरा की आराजी खसरा नम्बर 1796 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा गनेश वल्द नाथू व धासी वल्द काना, देवा वल्द सेडू, जाति–कुम्हार किस्म जमीन बंजड दोयम दर्ज हैं जिसके विक्रय के फलस्वरूप मोता देवी, राधा देवी, सावित्री देवी, विजयलक्ष्मी की खातेदारी में दर्ज राजस्व रिकार्ड हुए है तथा इसके पश्चात् तकास्मा के फलस्वरूप क्रमशः आराजी खसरा नम्बर 1796/1, 1796/2, 1796/3, 1796/4 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। आवासीय प्रयोनार्थ संपरिवर्तन किये जाने हेतु समर्पण किये जाने पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 1949 आराजी खसरा नम्बर 1796/1 में से 5 बिस्वा गै0मु0 रास्ता हेतु समर्पण किये जाने पर आराजी खसरा नम्बर 1796/6 का सिवायचक, आराजी खसरा नम्बर 1796/2 में से 4 बिस्वा गै0मु0 रास्ता हेतु समर्पण किये जाने पर आराजी खसरा नम्बर 1796/7 का सिवायचक, आराजी खसरा नम्बर 1796/3 में से 4 बिस्वा गै0मु0 रास्ता हेतु समर्पण किये जाने पर आराजी खसरा नम्बर 1796/8 का सिवायचक, आराजी खसरा नम्बर 1796/4 में से 5 बिस्वा गै0मु0 रास्ता हेतु समर्पण किये जाने पर आराजी खसरा नम्बर 1796/9 का सिवायचक का नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है और खातेदारान् की आराजी का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किये जाने के फलस्वरूप नामान्तरकरण संख्या 1953 आराजी खसरा नम्बर 1796/1 रकबा 13 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 1796/2 रकबा 13 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 1796/3 रकबा 14 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 1796/4 रकबा 10 बिस्वा आराजी का आवासीय प्रयोजनार्थ नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। वरवक्त बहस विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने विवादग्रस्त आराजी को खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011–2030 में निजी खातेदारी तथा भूमि की किस्म बंजड दोयम होना जाहिर किया है और संपरिवर्तन के फलस्वरूप वर्तमान राजस्व अभिलेख में निजी खातेदारी में आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज होना जाहिर किया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान प्रकरण में 15.08.1947 की स्थिति बहाल करने के निर्देश दिये गये है। प्रार्थी–तहसीलदार, फागी द्वारा ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये है जिससे यह जाहिर हो कि वादग्रस्त आराजी बन्दोबस्त से

पूर्व अर्थात् दिनांक 15.08.1947 की दिनांक को सिवाचक अथवा बहाव क्षेत्र की रही हो। अलबत्ता पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो से यह स्पष्ट जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011–2030 में निजी खातेदारी और किस्म जमीन बंजड दोयम दर्ज है। अब्दुल रहमान प्रकरण की परिधि में होने के लिऐ वादग्रस्त आराजी दिनांक 15.08.1947 की दिनांक को सिवाचक अथवा बहाव क्षेत्र की हो पत्रावली पर ऐसे कोई सद्भाविक दस्तावेजी साक्ष्य नही है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये हो और दिनांक 15.08.1947 को सिवायचक या बहाव क्षेत्र की होने की पुष्टि करते हो। खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011–2030 में निजी खातेदारी तथा भूमि की किस्म बंजड दोयम होना स्पष्ट रूप से जाहिर है। खतौनी बन्दोबस्त में दर्ज निजी खातेदारी व किस्म जमीन बंजड दोयम की खातेदारी समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में अब्दुल रहमान प्रकरण में कोई निर्देश नहीं है, इसलिए निजी खातेदारी समाप्त किये जाने हेतु विचारण प्रकरण में अब्दुल रहमान प्रकरण लागू होना नहीं पाते है। प्रार्थी–तहसीलदार, फागी द्वारा पुरातत्व विभाग, भू–सर्वेक्षण विभाग अथवा भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा संधारित ऐसे भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गऐ है जिनसे यह जाहिर हो कि वादग्रस्त आराजी शिव सागर तालाब के जल आवक क्षेत्र की भूमि हो। प्रार्थी–तहसीलदार, फागी द्वारा प्रस्तुत किये गये नक्शा मोमिया शीट (तह0 कार्या0) आराजी खसरा नम्बर 1796 की सत्यप्रतिलिपि में जो निर्माण होना अंकित किया है वह अप्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत नकल नक्शा ट्रेस आ0ख0नं0 1796/1, 1796/2, 1796/3, 1796/4 से स्पष्ट रूप से जाहिर है कि निर्माण आराजी खसरा नम्बर 1796/1 में है। प्रार्थी–तहसीलदार, फागी द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1796/1, 1796/2, 1796/3, 1796/4 का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जबकि अप्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत नकल नक्शा ट्रेस से स्पष्ट जाहिर है कि निर्माण कार्य आराजी खसरा नम्बर 1796/1 में है। इन सब तथ्यों के साथ यह एक महत्वपूर्ण बिन्दु है कि वादग्रस्त आराजी को बहाव क्षेत्र में सिद्ध करने के लिए कोई वैध दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। वैध दस्तावेजी साक्ष्यों के बिना, मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर यह कथन करना कि वादग्रस्त आराजी बहाब क्षेत्र की होने से खातेदारी निरस्त की जावे, न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है और बिना किसी वैध आधार के खातेदारी समाप्त नहीं की जा सकती हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार वगैराह में दिये गये निर्णय की पालना में प्रार्थी–तहसीलदार,

फागी द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में 15.08.1947 की स्थिति बहाल किये जाने के सबंध में सुलभ दस्तावेजात प्रतियों/साक्ष्यों की प्रतियां प्रार्थी पक्ष द्वारा खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011–2030 प्रस्तुत की गई हैं जिसमें वादग्रस्त आराजी निजी खातेदारी में दर्ज है और किस्म जमीन बंजड दोयम दर्ज है जिसके विपरीत अथवा इसके खण्डन में पत्रावली में अन्य कोई दस्तावेजात् उपलब्ध नहीं हैं अतः वादग्रस्त आराजी दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में बहाव क्षेत्र की सिद्ध नही होने से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार वगैराह में दिये गये निर्णय की परिधि में नहीं होने से तथा किसी सक्षम प्राधिकारी की आज्ञा जिसको प्रार्थी–तहसीलदार, फागी निरस्त कराना चाहते हो, अंकित नहीं होने से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं पाते है। अतः उक्त विवेचनानुसार प्रार्थी–तहसीलदार, फागी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र सारहीन होने से अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 30.04.2018 को सुनाया गया।

(सुनील भाटी)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर